



पुलिस कमिश्नरट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 25.10.2024

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 09 वांछित अभियुक्त एवं NBW में 02 वारण्टी गिरफ्तार।

दिनांक- 24/25.10.2024 को-

- 01-थाना अलीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 286/2024 धारा 317(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त फरहान उर्फ फरहान शेख
- 02-थाना गोमतीनगर में धारा 170/126/135 BNSS से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों 01-अर्नव कुमार सिंह उर्फ गौरव सिंह 02- समीर 03- अजीत सिंह सेंगर 04- आकाश यादव
- 03-थाना गोमतीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 535/2024 धारा 316(5)/318(4)/338/336(3)/340(2)/351(2) /61(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश कुमार शर्मा
- 04-थाना गोसाईगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 451/2024 धारा 305(ए)/317(2)/317(4) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज
- 05-थाना हसनगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 123/2024 धारा 103(1)/61(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त विकास कुमार गौड़
- 06-थाना ठाकुरगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 444/2024 धारा 87/137(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त मोहित यादव गिरफ्तार। एवं NBW में थाना ठाकुरगंज से 02 वांछित वारण्टी गिरफ्तार।

जोन-दक्षिणी

थाना मोहनलालगंज-

दिनांक 25.10.2024 समय करीब सुबह 08.41 बजे आगन्तुक विकास निवासी खुजौली थाना मोहनलालगंज, लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया जिसमें आज दिनांक 25.10.2024 समय करीब प्रातः 04.00 बजे मेरे पिता जी धनंजय सिंह उम्र करीब 45 वर्ष ने छत पर जाने के लिए रखी लकड़ी की सीढ़ी के डण्डे में गमछे का फन्दा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है इस सूचना पर उप-निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह थाना मोहनलालगंज द्वारा तत्काल मौके पर पहुँच कर परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचायतनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही। परिजनों से जानकारी हुयी कि मृतक धनंजय सिंह उपरोक्त मूल रूप से जनपद सिवान, बिहार का निवासी थे, पीडब्ल्यूडी विभाग लखनऊ में आश्रित कोटे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे।

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार-थाना मोहनलालगंज -

दिनांक 24.10.2024 को उप-निरीक्षक श्री आशुतोष दीक्षित थाना मोहनलालगंज द्वारा दौराने गस्त मय महिला हमराही फोर्स के अभियुक्त व अभियुक्ता 01-सत्यनारायण पुत्र अवसन निवासी केसरीखेड़ा पोस्ट सिसेड़ी थाना मोहनलालगंज, लखनऊ उम्र 48 वर्ष 02.अनिता पति सत्यनारायण निवासी केसरीखेड़ा पोस्ट सिसेड़ी थाना मोहनलालगंज, लखनऊ उम्र 42 वर्ष को केसरीखेड़ा रोड से आगे जाकर प्राइमरी स्कूल के आगे खाली प्लाट वाफासला से 20 पाउच अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 495/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**आपराधिक इतिहास-**

**शिवा पाण्डेय पुत्र प्रमोद कुमार पाण्डेय उपरोक्त**

- 1- मु0अ0सं0 01/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कृष्णानगर लखनऊ
- 2- मु0अ0सं0 300/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना बिजनौर लखनऊ

**बरामदगी-**

- 25.21 कि0ग्रा0 अवैध गांजा
- 02 अदद दो पहिया वाहन, (01 अदद स्कूटी टीवीएस UP32PH0547, 01 अदद बजाज प्लेटिना UP32MU8168)
- 04 अदद मोबाइल फोन

**पंजीकृत अभियोग-**

01-मु0अ0सं0 300/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना बिजनौर लखनऊ

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- |  |  |
|--|--|
| 1-प्र0नि0 अरविन्द कुमार राणा थाना बिजनौर लखनऊ    | 1- निरीक्षक विवेक सिंह यादव ए0एन0टी0एफ0 जनपद लखनऊ        |
| 2-अति0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना बिजनौर लखनऊ      | 2-हे0का0 दीपक सिंह, तैनाती ए0एन0टी0एफ0 जनपद लखनऊ         |
| 3-उ0नि0 गजय सिंह, थाना बिजनौर लखनऊ               | 3- हे0का0 खालिद, तैनाती ए0एन0टी0एफ0 जनपद लखनऊ            |
| 4-प्रशिक्षु उ0नि0 प्राशु शर्मा, थाना बिजनौर लखनऊ | 4- हे0का0 संदीप सिंह तैनाती ए0एन0टी0एफ0 जनपद लखनऊ        |
| 5-का0 अरुण कुमार यादव थाना बिजनौर लखनऊ           | 5-हे0का0 जितेन्द्र सिंह तैनाती ए0एन0टी0एफ0 जनपद बाराबंकी |
| 6-म0का0 सुन्दरी थाना बिजनौर लखनऊ                 |  |

